न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

निर्णय दिनांक
13.05.2024

प्रकरण संख्या
335/2023

दायर दिनांक
21.09.2023

उनवान

1. श्यामसुन्दर पिता स्व0 भंवर लाल जी गुर्जर आयु 16 वर्ष नाबालिक बली सरंक्षक माता श्रीमती रतनी पिता स्व0 भंवरलाल जी जाति गुर्जर निवासी जोधडास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा — प्रार्थी

बनाम

1. चांदी पुत्री छीतर जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी जोधडास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मंजू पुत्री भंवर लाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी जोधडास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रामचन्द्र पुत्र छीतर जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी जोधडास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. विनोद पुत्र भंवर लाल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी जोधडास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. शंकर पुत्र छीतर जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी जोधडास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा राज0 — अप्रार्थीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मांगीलाल सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 13/05/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की सामलाती ग्राम जोधडास पटवार हल्का मालोला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तह0 एव जिला भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 141/1, 142/1, 143, 144/1, 146 147/1 दर्ज रेकार्ड है। भंरवलाल पुत्र छीतर गुर्जर की मृत्यू के पश्चात् विरासत के नामान्तकरण में बंटी पुत्र भंवरलाल अंकित कर दिया। जबकि बंटी के बजाय श्यामसुन्दर पुत्र भंरवरलाल अंकित करना चाहिए। प्रार्थी के सरकारी रेकार्ड में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम श्याम सुन्दर गुर्जर पुत्र भंवरलाल गुर्जर अंकित है। उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज बंटी पुत्र भंवरलाल गुर्जर के बजाय श्यामसुन्दर पिता भंवरलाल

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

गुर्जर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम जोधडास की जमाबन्दी सम्वत 2069—2073 के खाता संख्या 123, 124 की प्रति एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति, बैंक पासबुक की फोटोप्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की फोटोप्रति संलग्न की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सम्मन जारी किए गए। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए ग्राम धुमडास की आराजी नम्बर 185 रकबा 1.5933 है0 में बंटी पुत्र भंवरलाल गुर्जर के बजाय श्यामसुन्दर पिता भंवरलाल गुर्जर रेकार्ड में दुरूस्त कराए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया एवं एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण अनुसार पुर्व में इस न्यायालय प्रकरण संख्या 336/2022 निर्णय दिनांक 05.07.2023 से ग्राम जोधडास की जमाबन्दी में अंकित बंटी पुत्र भंवर के नाम को दुरूस्त कर श्यामसुन्दर पुत्र भंवरलाल गुर्जर नाम अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए गए है। इस प्रकार प्रार्थी ने दिनांक 21.09.2023 में पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर दुरूस्ती चाही है जो विधी सम्वत् नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का ग्राम धुमडास की आराजी नम्बर 185 रकबा 1.5933 है0 का बंटी पुत्र भंवरलाल गुर्जर के बजाय श्यामसुन्दर पिता भंवरलाल गुर्जर दुरूस्ती का आदेश पुर्व में प्रकरण संख्या 336/2022 निर्णय दिनांक 05.07.2023 से निर्णित हो चुका है। पुनः इसी आराजी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा